

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़ ।

आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या-14/2020

राज्य

बनाम

वाहन ट्रैक्टर संख्या- JH09AN-2946 के स्वीम एवं अन्य (दस वाहन के स्वामी)

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

05/02/2021

—:: आदेश ::—

अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के पत्र ज्ञापांक-2891/अप०शा० दिनांक12.11.2020 द्वारा गोला थाना काण्ड संख्या-112/2020 दिनांक-15.10.2020 धारा-379 भा0द0वि0 एवं झारखण्ड मिनिरल प्रिभेन्सन ऑफ इलिगल माईनिंग ट्रान्सपोटेशन एण्ड स्टोरेज रूल 2017 के नियम 11 एवं 13 झारखण्ड खनिज समनुदान नियमावली-2004 की धारा-54 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमण) अधिनियम 1957 की धारा-21 के अन्तर्गत जप्त वाहन (1) JH09AN 2946, इंजन नं० RJD2DBN6010, चेचिस नं० MBNAAADAPRD01225 (महिन्द्रा ट्रैक्टर), (2) JH01BR 6790, इंजन नं० PY3029D370939, चेचिस नं०- 1PY5042DEEA009099 (जॉनडियर ट्रैक्टर), (3) JH01DY 0506, इंजन नं० PY3029D554714, चेचिस नं० 1PY5042DJLA025940 (जॉनडियर ट्रैक्टर), (4) JH24F 8874, इंजन नं० S325K49903, चेचिस नं० 92851316497 (आईसर ट्रैक्टर), (5) JH09AR 7855, इंजन नं० E3508084, चेचिस नं० T053451022EH (पावर ट्रैक्टर), (6) JH02AN 1946, इंजन नं० C324306722NT, चेचिस नं० LNT3035006558 (इन्डो फार्मा ट्रैक्टर), (7) JH09AV 5246, इंजन नं० RKD2DBN6101, चेचिस नं० MBNAAADAPKRD03794 (महिन्द्रा ट्रैक्टर), (8) JH0CZ 6073, इंजन नं० PY3029D433185, चेचिस नं० 1PY5036DJHA004369 (जॉनडियर ट्रैक्टर), (9) JH24E 4596, इंजन नं० PY3029D501802, चेचिस नं० 1VY5039DCJA005625 (जॉनडियर ट्रैक्टर), (10) इंजन नं० VHE3C510012, चेचिस नं० S407183236 (महिन्द्रा शक्ति ट्रैक्टर), (11) इंजन नं० PY3029D526384, चेचिस नं० 1VY5005DVKA000150 (जॉनडियर ट्रैक्टर) को राज्यसात की कार्रवाई हेतु अनुशंसा हेतु प्रस्ताव न्यायालय को प्राप्त है।

प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि, Mines & Minerals Development & Regulation Act 1957 की धारा-21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि धारा-21 (4-A) में निम्न प्रावधान है "Any mineral, tool, equipment, vehicle or any other thing seized under sub-section (4), shall be liable to be confiscated by an order of the Court competent to take cognizance of the offence under sub-section (1) and shall be disposed of in accordance with the directions of such Court."

उक्त परिप्रेक्ष्य में वाद के इस अवस्था में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़ द्वारा Mines & Minerals Development & Regulation Act 1957 की धारा-21 (4-A) के तहत राज्यसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव विचारणीय नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। इसी आदेश/मन्तव्य के साथ वाद निस्तारित की जाती है। प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव मूल रूप में पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को वापस करें। अभिलेख संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

110/वि
05/02/2024